आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 110/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एस आर जी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस. एम. लोढा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।

प्रार्थी **वित्तीय संस्था**

बनाम

1. श्री रमेश चंद चोपडा पुत्र श्री रामप्रसाद, जाति चोपडा
2. श्रीमती मुकेश कुमार चोपडा पुत्र श्री रामप्रसाद चोपडा, जाति साहु
   निवासी 27, बडाली ढाणी, सुरजपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर,
   ग्वार जाटान पो. दादिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, एवं
   घ–85, किसान कालोनी, मालपुरा गेट के पास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. चौपडा एंटरप्राईजेज, भोमिया जी का चबुतरा, माल की ढाणी रोड, मालपुरा गेट के पास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. श्री राजेश चौधरी पुत्र श्री रामेश्वर चौधरी, जाति चौधरी,
   निवासी 04, शिवा नगर, सवाई माधोपुर, रेल्वे लाईन के पास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर,
   दुकान नम्बर 01, कोहिनूर सिनेमा के पास, पानी की टंकी के सामने, स्टेशन रोड, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर,
   दुकान नम्बर 04, मैन मार्केट, सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर एवं
   एवं 01, मालपुरा गेट, सांगानेर, जिला जयपुर।
5. श्री सुभाष कुमेवाल पुत्र श्री तारा चन्द कुमेवाल, जाति कुमेवाल, निवासी 15, बलदेव भवन, नामदेव कालोनी, वायरलेस ओफिस के पास, सांगानेर बाजार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–श्री नरेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश **दिनांक 04.10.2021**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 27.12.2018 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी रमेश चंद चौपडा पुत्र श्री राम प्रसाद चौपडा के स्वामित्व की सम्पति भू–खण्ड संख्या 23, किसान कालोनी, मुहाना गृह

मजिस्ट्रेट जयपुर

निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 177.77 वर्गगज को बन्धक रख कर 30,00,000/—रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.08.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act,2002, की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से क्रम संख्या 34 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 30,00,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 35,02,200/—रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 25.08.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी रमेश चंद चौपडा पुत्र श्री रामप्रसाद चौपडा के स्वामित्व की सम्पति भू–खण्ड संख्या 23, किसान कालोनी, मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, सांगानेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 177.77 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मजिस्ट्रेट
जयपुर

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

8. आदेश की प्रति हस्त्व कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक 04.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

4/10/21

(अन्तर सिंह नेहरा)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर